यातायात नियमों का उल्लंघन किया तो पता भी नहीं चलेगा और कट जायेगा ई चालान

- इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंटोल सेंटर से यातायात उल्लंघनकताओं पर रखी जा रही नजर
- स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगाये गये हैं रेड लाइट वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम, स्पीड वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम और एएनपीआर कैमरे
- पटना सहित बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर स्मार्ट सिटी में भी शुरू होगा ऑटोमेटिक ई चालान
- चालान की राशि नहीं जमा करने पर 90 दिनों के बाद वाहन को ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा

पटना नई सोच एक्सप्रेस। परिवहन विभाग की ओर से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से बिहार सड़क सुरक्षा परिषद विभिन्न पणधारी विभागों के सहयोग से यातायात उल्लंघनकताओं के विरुद्ध अब इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से ऑटोमेटिक ई चालान की व्यवस्था शुरू की गई है। राजधानी की सड़कों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करते ही चालान कट जायेगा और उसका मैसेज वाहन मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलेगा। राज्य परिवहन आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने बताया कि पटना नगर निगम में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से यातायात उल्लंघनकताओं के विरुद्ध चालान निर्गत करने हेतु परिवहन विभाग द्वारा एनआईसी के माध्यम से इंटिग्रेशन का कार्य किया गया है। इसके माध्यम से पटना में ऑटोमेटिक चालान निर्गत करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। बहुत जल्द ही बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी, मुजफ़्फरपुर स्मार्ट सिटी एवं भागलपुर स्मार्ट सिटी में भी कमांड एंड कंटोल सेंटर के माध्यम से ई चालान शुरू करने की योजना है। इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिये यातायात उल्लंघनकताओं के विरुद्ध कार्रवाई के लिए विभिन्न आठ प्रकार के यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर ई चालान काटा जा रहा है। बिना हेलमेट-सीटबेल्ट, ओवर स्पीडिंग, स्टॉप लाइन वॉयलेशन, रॉग साइड ड्राइविंग, टिपल राइडिंग, वाहन चलाते मोबाइल पर बात एवं ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करने वाले चालकों का ई चालान विशेष रुप से काटा जा रहा है। इसके लिए राजधानी के विभिन्न 30 जंक्शन पर रेड लाइट वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम, 25 जगहों पर एएनपीआर कैमरा और 12 जगहों पर स्पीड वॉयलेशन डिटेक्शन सिस्टम लगाये गये हैं। आयुक्त ने बताया कि पटना स्मार्ट सिटी के कमांड एंड कंटोल सेंटर के माध्यम से ई चालान के लिए यातायात पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है। वाहन चालकों द्वारा यातायात उल्लंघन किये जाने पर तत्काल सिस्टम द्वारा वाहन नंबर सहित उल्लंघनकर्ता का फोटो पर उल्लंघन करते हुए उसका लोकेशन कैप्चर हो जाता है। इसके बाद यातायात के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा नंबर वेरिफाई करते हुए ई चालान निर्गत किया जाता है, जिसकी सूचना तत्काल वाहन मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल पर चला जाता है। वहीं पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंटोल सेंटर के माध्यम से 20 मार्च से लेकर अब तक 487 उल्लंघनकताओं का ई चालान काटा गया है। इसमें सबसे अधिक ट्रैफिक सिग्नल उल्लंघन करते हुए 317 वाहन चालकों का ई चालान काटा गया है, जबकि रॉग साइड का 150 और ओवर स्पीडिंग में 20 ई चालान काटा गया है। यातायात उल्लंघनकर्ता द्वारा चालान की राशि नहीं जमा करने पर 90 दिनों के बाद वाहन को ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। यानि वाहन का फिटनेस, प्रदूषण, ऑनरशिप ट्रांसफर आदि नहीं करवा सकेंगे।